HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No.266/2026
IN
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2792/2025

Jairam Vishnoi S/o Bhanwarlal, Aged About 41 Years, R/o Gram Bhaniya, Tehsil Sojat, P.s. Shivpura, District Pali, Rajasthan. (At Present Accused Confined In District Jail, Beawar)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री श्यामबिहारी गौतम
For Respondent(s) : श्री तेज प्रकाश शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

27-02-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ प्रकरण और अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1, जिला ब्यावर, राजस्थान** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**45/2020 सरकार बनाम जयराम विश्नोई** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **11.09.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है, अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.05.2020 से लगातार अभिरक्षा में है, उसकी

अभिरक्षा अवधि 5 वर्ष 9 माह हो चुकी हैं, प्रकरण में एन.डी.पी.एस. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, उनके द्वारा अपील में जो आधार लिए गए है उनके आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य हैं । प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है ।

उनका यह भी तर्क रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, मनोहर लाल ऐनानी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य** के मामलों में लंबी हिरासत के कारण जमानत देने की अवधारणा पर विचार किया था, **मनोहर लाल (सुप्रा)** के मामले में आरोपी को जमानत देने के लिए पांच साल से अधिक की हिरासत अवधि को पर्याप्त माना गया था। प्रस्तुत अपील के शीघ्र निस्तारण की सम्भावना क्षीण है, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका निवेदन है कि बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा अत्यधिक है, अपराध की प्रकृति गंभीर है अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक 27**.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित

किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, अपना पता बदलने की स्थिति में वह न्यायालय को सूचित करेगा तथा न्यायालय की अनुमति के बिना भारत देश नहीं छोडेगा तो अपीलार्थी/अभियुक्त **जयराम विश्नोई पुत्र भंवरलाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/21